

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला विकास शाखा)

आदेश

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर ने अपने पत्रांक-1157 दिनांक-17.08.13 द्वारा योजना वधा-खानपुर मौजा में कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य में अवशेष बची राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर के द्वारा प्राप्त नापीपुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति निरीक्षण प्रतिवेदन एवं रंगीन फोटोग्राफ के आधार पर मांग की गयी राशि मो० 288700/- (दो लाख अठ्ठासी हजार सात सौ)रुपये की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित योजना का जाँच स्वयं अपने स्तर से करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही राशि का भुगतान करेंगे यदि योजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार का अनियमितता भविष्य में परिलक्षित होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न तालिका के स्तम्भ-06 में वर्णित राशि का चेक स्तम्भ-03 में अंकित कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त की गयी राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	खानपुर मौजा में कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	7,88,700	5,00,000	2,88,700
		योग-	7,88,700	5,00,000	2,88,700

दृष्टव्य:-

1-प्रशासनिक स्वीकृति की राशि -

7,88,700 /- (सात लाख अठ्ठासी हजार सात सौ)रुपये मात्र।

2-पूर्व में विमुक्त की गयी राशि-

5,00,000 /- (पांच लाख)रु० मात्र।

3-वर्तमान में विमुक्ति की राशि-

2,88,700 /- (दो लाख अठ्ठासी हजार सात सौ)रु०मात्र।

रु०/-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापक.....409...../जि०वि०, दिनांक 29-10-13
प्रतिलिपि- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर/अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।(मुंगेर)/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रु०/-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।